सक्सेस मिरर

सफलता का कैप्सूल

Visit us at : www.pdgroup.in

वर्ष : 14 | अंक : 158 | जून : 2023

इस अंक में...

5 सम्पादकीय

7 समसामयिकी घटना संग्रह

9 समसामयिकी संक्षिप्तकियाँ

18 आर्थिक घटना संग्रह

- मौद्रिक नीति समीक्षा अप्रैल 2023 : रेपो दर अपरिवर्तित
- अमरीका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार
- मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5·66 प्रतिशत पर आई

21 राष्ट्रीय घटना संग्रह

- आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
- भारत का पहला 3डी-मुद्रित डाकघर बेंगलूरू में खुलेगा
- प्रोजेक्ट टाइगर के तहत् भारत के जंगलों में अब 3167 बाघ

25 अन्तर्राष्ट्रीय घटना संग्रह

- चीन को पछाड़ दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बना भारत
- भारत-रूस व्यापार वार्ता 2023 नई दिल्ली में सम्पन्न
- भारत सबसे अधिक AI निवेश वाले देशों में 5वें स्थान पर

28 खेल खिलाड़ी

- बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए हर्बालाइफ को अपना भागीदार बनाया
- भारत फीफा रैंकिंग में 101वें पायदान पर

32 विज्ञान समाचार

34 महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह

36 समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

लेख

40 **सामयिक लेख**—मतदान सुधार में रिमोट वोटिंग सिस्टम का महत्व

41 **सामयिक लेख**—लैंगिक वेतन असमानता

42 **वस्त्र-उद्योग लेख**—प्रधानमंत्री मित्र योजना भारतीय वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देगी

47 **ज्ञानार्जन लेख**—अध्ययन एक साधना है....

48 **पारिस्थितिकी-तंत्र लेख**—जल सम्मेलन का अमरीका में आयोजन

50 **विज्ञान लेख**—मानवता की भलाई के लिए ही हो विज्ञान का उपयोग

51 **चिकित्सा लेख**—सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका

52 **सामयिक लेख**—भारत में मानव विकास सूचकांक

53 **वित्तीय लेख**—भारतीय रुपए का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

55 **शिक्षाप्रद लेख**—नव यूरेशिया और भारत के हित

56 **न्यायिक लेख**—न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं न्यायपालिका की निष्पक्षता

57 **सामयिक लेख**—जातीय गणना की प्रासंगिकता

58 **निर्वाचन लेख**—चुनाव सुधार पर विशेष पहल की दरकार

विविध/सामान्य

81 **प्रथम पुरस्कृत तार्किक प्रतियोगिता**

83 **तार्किक प्रतियोगिता क्रमांक-155 का परिणाम**

85 **रोजगार अवसर**

हल प्रश्न-पत्र

60 एस.एस.सी. दिल्ली पुलिस हैड कॉंस्टेबिल (मंत्रिस्तरीय) परीक्षा, 2022

69 उत्तराखण्ड वन रक्षक परीक्षा, 2023

मॉडल हल

75 आगामी मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक), जेल प्रहरी (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न

संस्थापक सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्र जैन | सम्पादक : राहुल जैन | रजिस्टर्ड ऑफिस : 2/11ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–2

ई-मेल : सम्पादकीय : publisher@pdgroup.in कस्टमर केयर : care@pdgroup.in

सम्पादकीय ऑफिस	: 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास, **आगरा**–282 005	**फोन**–2531101, 2530966
दिल्ली ऑफिस	: 4845, अंसारी रोड, दरियागंज, **नई दिल्ली**–110 002	**फोन**–011-23251844, 43259035
पटना ऑफिस	: पारस भवन (प्रथम तल), खजांची रोड, **पटना**–800 004	**मो**–09334137572
हैदराबाद ऑफिस	: 16-11-23/37, मूसारामबाग, टीगन गुडा, आर.टी.ए. ऑफिस के सामने मेन रोड, (यूनियन बैंक के बगल में), **हैदराबाद**–500 036 (तेलंगाना)	**मो**–09391487283
हल्द्वानी ऑफिस	: 8-310/1, ए. के. हाउस, हीरानगर, **हल्द्वानी**, जिला–नैनीताल–263 139 (उत्तराखण्ड)	**मो**–07060421008

सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के इस मैगजीन का कोई भी भाग न तो पुनरुत्पादित किया जाएगा और न किसी भी रूप में, जैसे–इलेक्ट्रॉनिक, मेकेनीकल, फोटोकॉपीइंग, रिकॉर्डिंग अथवा अन्य प्रकार स्टोर किया जाएगा. हालांकि इस संस्करण में प्रकाशित सूचनाओं के सही होने का हरसम्भव प्रयास किया गया है, फिर भी न तो प्रकाशक व न अन्य कोई कर्मचारी किसी भी त्रुटि अथवा छूट के लिए उत्तरदायी होगा. अस्वीकृत रचनाओं को लेखकों को वापस भेजने के लिए उनके साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा मय उपयुक्त डाक टिकटों के प्राप्त होगा. रचना के देर से पहुँचने अथवा रास्ते में खो जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती. पत्रिका में लेखकों द्वारा प्रेषित बयानों, विचारधाराओं तथा प्रकाशित विज्ञापनों की कोई जिम्मेदारी **'सक्सेस मिरर'** की नहीं है.

सम्पादकीय

आरक्षण कब तक चलेगा ?

आरक्षण का मुद्दा भारतीय समाज, राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में गहरी जड़ें जमा चुका है. आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक भ्रांतियाँ हैं. ध्यातव्य यह है कि वह जाति के आधार पर लागू किया जाता है और सामाजिक विघटन को जन्म देता है. इस पर अनेक दृष्टियों से अनेक बार विचार किया जा चुका है. इसका समाधान है आर्थिक और सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था लागू की जाए. आदर्श स्थिति तो यह है कि इस व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए.

विगत तीन दशकों से आरक्षण का विषय विवादग्रस्त बना हुआ है. हमें विवादों से हटकर इसके मूल उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए. इसका मूल उद्देश्य है गरीब और अमीर के बीच संतुलन स्थापित कराना और सर्वोत्तम शिक्षा सबको उपलब्ध कराना, परन्तु दुर्भाग्यवश आरक्षण की प्रक्रिया जातीय संघर्ष से जुड़ गई है.

अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल अनेक जातियाँ स्वयं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कराने के लिए, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग अपने लिए अलग से आरक्षण प्रदान करने के लिए आन्दोलन करते रहते हैं. राजनीतिक कारणों से अनेक राज्यों में सत्तासीन दल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत से अधिक करने के लिए कानून बनाते रहे हैं. कुछ राज्यों में मुस्लिमों को पृथक् से आरक्षण दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं. वास्तविकता तो यह है कि अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कतिपय जातियों, वर्गों, धर्मावलम्बियों को आरक्षण प्रदान करने का मुद्दा सामाजिक और आर्थिक कम राजनीतिक अधिक बनता जा रहा है.

कहने की आवश्यकता नहीं कि हमें इस मकड़जाल से बाहर निकलने के मार्ग पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा.

जाति के आधार पर संघर्ष या प्रतिस्पर्धा आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया से जुड़ी है. हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का जो प्रारूप बनाया था, उस पर नई दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए. जब हम जाति की बात करते हैं, तो उसका तात्पर्य होता है जन्म के आधार पर पहचान.

कुछ वर्षों पहले तक हमारे देश में स्थिति यह थी कि जिस व्यक्ति ने अगड़ी जाति में जन्म लिया वह आगे रहा और जो पिछड़ी जाति में जन्मा वह हमेशा पीछे रहा. अब स्थिति तेजी से बदल रही है और समाज का आर्थिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आरक्षण प्राप्त सम्पन्न परिवार में जन्म लेने वाला बालक आरक्षण का अधिकारी बनता है और उसके पड़ोस में आरक्षण से वंचित निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले बालक को यथावत् स्थिति से संतोष करना पड़ता है.